कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

पत्रांक 637 / 5-3 कौशाम्बी, दिनांक ~~सितम्बर~~ 07 अक्टूबर 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि० विभाग,
कौशाम्बी ।

विषय– जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी०टी० रोड का आन्तरिक भाग किमी० 161.800 से किमी० 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के निर्माण मे प्रस्तावित 17.626 हे० संरक्षित वन भूमि के संरेखण मे पड़ने वाले बाधक वृक्षों को काटने के सम्बन्ध मे वन भूमि हस्तातरण का प्रस्ताव का प्रेषण।

सदर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) पत्र संख्या– 8बी / 06 / 106 / 2016 / एफ०सी० / 318 दिनांक 18.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि सदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तों एवं प्राविधानों के तहत् सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदान की गई स्वीकृति शर्त **बिन्दु संख्या– 01** में लिखित है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में दो गुने अवनत भूमि अर्थात 17.626 X 2 = 35.252 हे० पर एवं 10 वर्षों का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा करायी जायेगी। इसलिए प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित अग्रिम मृदाकार्य वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण की धनराशि 14090400.00 रू० आन लाइन पोर्टल के माध्यम से ई चालान द्वारा जमा करायी जाए।

बिन्दु संख्या– 2 (क)– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या– 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या– 5–3 / 2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत् आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी० 17.626 हे० X 8.03 लाख) रू० 141.54 लाख की धनराशि आन लाइन पोर्टल के माध्यम से ई चालान द्वारा जमा कराया जाए। उक्त दोनो निधियों की जमा धनराशि की रसीद संलग्न कर अनुपालन आख्या के साथ प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या– 2 (ख)– के अनुसार जमा की गयी धनराशि की आनलाईन की रसीद की छाया प्रति सहित अनुपालन आख्या प्रेषित की जाए।

बिन्दु संख्या– 2 (ग)– प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करे कि यदि एन०पी०वी० दरों मे बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त सैद्धान्ति स्वीकृति मे अंकित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजा जा सके।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 07/10

(ओ०पी० अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।

संख्या ______ / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ओ०पी० अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी

D:\Ti-mat 2011-12\Project P.W.D.\Cancel 2015.doc

Scanned by CamScanner